भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3560
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश

3560. श्री माथेश्वरन वी.एस.:

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित कुछ न्यायाधीशों के स्थानांतरण को रोकने के लिए सरकार को पत्र लिखा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सूची का ब्यौरा क्या है जो छह माह से अधिक समय से सरकार के पास लंबित है ; और

(ग) क्या सरकार स्थानांतरण को अधिसूचित कर रही है क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण में उसकी भूमिका न्यूनतम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम अवर न्यायाधीशों के परामर्श से शुरू किया जाता है। एमओपी में आगे यह भी उपबंध है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के विचारों को भी ध्यान में रखें, जहां से न्यायाधीश को स्थानांतरित किया जाना है, साथ ही उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के विचारों को भी ध्यान में रखें, जहां स्थानांतरण किया जाना है, इसके अलावा वे उच्चतम न्यायालय के एक या अधिक न्यायाधीशों के विचारों को भी ध्यान में रखेंगे, जो विचार प्रस्तुत करने की स्थिति में हैं। मुख्य न्यायमूर्ति सहित संबंधित न्यायाधीश से संबंधित व्यक्तिगत कारक और प्रस्ताव पर उनकी प्रतिक्रिया, जिसमें स्थानों की उनकी प्राथमिकता भी सम्मिलित है, को प्रस्ताव पर निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के पहले चार अवर न्यायाधीशों द्वारा अनिवार्य रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए । सभी स्थानांतरण जनहित में, अर्थात पूरे देश में न्याय के बेहतर प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए किए जाने चाहिए । एम.ओ.पी. में एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

****